

# दृष्टि पत्र 2018 एवं जनसंकल्प-2013 के 100 दिवस की कार्य योजना एवं लक्ष्य

स. क्र.	मिशन बिन्दु	कार्य योजना का नाम	100 दिवस का लक्ष्य
दृष्टिपत्र 2018 8.A.15	सम्पूर्ण 19000 किमी. के प्रमुख जिला सड़क नेटवर्क का अगले पांच सालों में उन्नयन। इस कार्य के लिये राजकीय बजट के साथ ही अन्य वित्तीय साधनों जिनमें बहु पार्श्व संस्थाओं की वित्तीय सहायता भी शामिल है, का उपयोग किया जायेगा।	मार्गों पर यातायात गणना कर मार्गों के उन्नयन की योजना तैयार करना तथा विभागीय बजट से मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन/निर्माण।	इस हेतु ट्रेफिक सर्वे एवं विभागीय निरीक्षण के उपरांत कार्य योजना बनाई जायेगी। इसके तहत डीपीआर हेतु कंसलटेंट नियुक्त किये जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। 100 दिवस के अंतर्गत 150 कि.मी. मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन/ निर्माण।
दृष्टिपत्र 2018 16.4.7	सभी विभागों द्वारा ई-गवर्नेंस प्लान अनिवार्यतः बनाया जायेगा।	वर्क मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट सिस्टम, एसेट मैनेजमेंट तथा हयुमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना।	डब्ल्यू.एम.एम.एस. साफ्टवेयर लागू करने एवं एसेट मैनेजमेंट तथा हयुमन रिसोर्स मैनेजमेंट साफ्टवेयर तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ करना।
जन संकल्प 2013 14	मुख्यमंत्री युवा कांट्रेक्टर योजना	मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना।	प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है। 100 दिवसों में प्रशिक्षण जारी रहेगा।
जन संकल्प 1.1.5	कार्यालयीन प्रक्रिया मैन्युअल सुधारे जायेंगे	कार्यविभाग नियमावली में संशोधन।	1. नया टेण्डर डाक्यूमेंट आगामी 8 दिवसों में लागू किया जावेगा। 2. कार्यविभाग नियमावली में अन्य आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्रवाई वित्त एवं विधि विभाग के सहयोग से प्रारंभ की जायेगी।
	विभागीय योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य	विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 100 दिवसीय कार्य योजना	विभागीय योजना के अंतर्गत 150 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग, 1000 कि.मी. ग्रामीण/ अन्य जिला मार्ग का उन्नयन/निर्माण, 20 नग वृहद पुलों का निर्माण, 100 भवन कार्यों का निर्माण किया जाना (लागत रू. 200 करोड़) तथा 1500 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण किया जायेगा।

# दृष्टिपत्र 2018 के 100 दिवस की कार्ययोजना एवं लक्ष्य

सरल क्र.	मिशन बिन्दु	कार्य योजना का नाम	100 दिवस का लक्ष्य
8.ए.1.1	प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों को चार लेन एवं जिला मुख्यालयों को दो लेन सड़कों से जोड़ा जाना	1. ग्वालियर संभाग को जोड़ने के लिये भोपाल से ब्यावरा चारलेन मार्ग का निर्माण।	5 कि.मी. चारलेन डामरीकरण।
		2. जबलपुर संभाग को जोड़ने के लिये भोपाल से जबलपुर चारलेन मार्ग का निर्माण।	अनुबंध नि पादन करना।
		3. सिंगरौली जिले को जोड़ने के लिये सीधी-सिंगरौली चारलेन मार्ग का निर्माण।	कार्य प्रारंभ करना।
		4. अशोक नगर जिले को जोड़ने के लिये अशोक नगर से गुना दोलेन मार्ग का निर्माण।	10 कि.मी. जी.एस.बी. स्तर पूर्ण करना।
8.ए.1.2	राष्ट्रीय राजमार्गों की 1400 कि.मी. की लम्बाई का पी.पी.पी. मोड के तहत फोरलेन में उन्नयन।	1. प्रथम चरण में छः कार्य प्रगति पर एवं एक कार्य पूर्ण।	48 कि.मी. लंबाई में चारलेन डामरीकरण।
		2. द्वितीय चरण में ब्यावरा से राजस्थान बॉर्डर मार्ग का निर्माण भोपाल से जबलपुर मार्ग का निर्माण।	कार्य प्रारंभ करना। अनुबंध नि पादन करना।
8.ए.1.3	राज्य के संपूर्ण 11000 कि.मी. स्टेट हाईवे को विश्व स्तरीय राज्य मार्ग तंत्र में परिवर्तन करना	8273 कि.मी. लंबाई के राज्यमार्गों का निर्माण पूर्ण लंबाई में कार्य प्रगतिरत्।	764 कि.मी. लंबाई के राज्यमार्गों का निर्माण करना।
8.ए.1.4	प्रांतीय राजमार्गों की 1000 कि.मी. लम्बाई को चार लेन में उन्नयन करना	प्रथम चरण में 472 कि.मी. के 3 राज्यमार्गों को चारलेन में उन्नयन करना।	472 कि.मी. लंबाई की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूर्ण करना।
8.ए.1.6	दुर्घटना से प्रभावितों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के प्रावधान तथा विश्व स्तरीय एक्सीडेंट रिसपांस एवं राजमार्ग प्रबंधन	एक्सीडेंट रिसपांस सिस्टम एवं राजमार्ग प्रबंधन का कार्य प्रारंभ।	60% कार्य पूर्ण करना।
8.ए.1.7	राजमार्गों के दोनो ओर विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा और निर्माण सीमा रेखा की अधिसूचना	504 कि.मी. चारलेन परियोजनाओं के लिये अधिसूचना जारी किया जाना।	504 कि.मी. की अधिसूचना जारी किये जाने का लक्ष्य।
9.3.1	टोल प्लाजा पर वाहनों के जाम को कम करने एवं वाहनों की नियंत्रण हेतु राज्य में एकीकृत इलेक्ट्रानिक टोलिंग सिस्टम की स्थापना	समस्त बी.ओ.टी. ऑपरेटर्स से बातचीत कर उन्हें एकीकृत टोलिंग सिस्टम लागू करने हेतु सहमति प्राप्त करना।	टोल ऑपरेटर्स से सहमति प्राप्त करना।
9.3.2	राज्य में एक्सीडेंट रिसपांस सिस्टम की स्थापना एवं क्रियान्वयन।	एक्सीडेंट रिसपांस सिस्टम एवं राजमार्ग प्रबंधन का कार्य प्रारंभ।	60% कार्य पूर्ण करना।
9.3.3	राज्य में राजमार्ग अधिनियम के तहत राजमार्गों के किनारे सर्विस रोड एवं सुविधाओं का विकास।	472 कि.मी. लंबाई के 3 राज्यमार्गों के चारलेन में उन्नयन में राजमार्ग अधिनियम के तहत राजमार्गों के किनारे सर्विस रोड एवं सुविधाओं का विकास करना।	472 कि.मी. लंबाई में सर्विस रोड एवं सुविधाओं का प्रावधान रखते हुए फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूर्ण करना।